# न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – जितेन्द्र भगत,

बनाम

वाद सं0 73/2023

द्वितीय पक्ष – अनिल उरॉव ..... बगैरह।

| आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि | दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी |
|---|---|---|
| | थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 18/2023 दिनांक 04/08/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि **प्रथम पक्ष** (1) जितेन्द्र भगत, उम्र 50 वर्ष, पिता छेदी राम, ग्राम दिवान टोली (2) बलेश्वर राम उम्र 44 वर्ष पिता गंदुर राम, ग्राम+थाना बसिया जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) अनिल उरॉव, उम्र 28 वर्ष पिता मलार उरॉव (2) समीर उरॉव, पिता मलार उरॉव, दोनो ग्राम पहाड़ टोली, थाना बसिया जिला गुमला के बीच मौजा बसिया के खाता सं0 31, प्लॉट सं0 486, 487, 488, 490 कुल रकबा 1.52 एकड़ जमीन को लेकर विवाद लाया गया है। फलस्वरूप द्वितीय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है।<br><br>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :–<br><br>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।<br><br>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित ।<br><br>18/6/24<br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br>बसिया (गुमला)।<br><br>Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM<br>Date: 2024.07.03 12:36:12 +05:30<br>Location: 192.168.1.3 | |